

आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं०- 113/2011

तपनारायण सिंह एवं अन्य

बनाम

चम्पा देवी एवं अन्य

आदेश

2.5.15 प्रस्तुत अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, महाराजगंज द्वारा भूमि विवाद वाद संख्या- 33/2010-11 में दिनांक 16.07.11 को पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई है।

वाद का संक्षिप्त में तथ्य यह है कि भूप नारायण सिंह वल्द स्व० शिवशंकर सिंह साकिन-बनपुरा थाना व अंचल भगवानपुर हाट जिला सीवान द्वारा वर्तमान अपील के प्रतिवादियों के विरुद्ध उप समाहर्ता भूमि सुधार, महाराजगंज के समक्ष वाद दायर किया कि उनकी मरुसी सम्पत्ति का आपसी बंटवारा तीनों भाईयों के बीच में होने के पश्चात् उनको जो मिला है उनके हिस्से की जमीन पर दखल कब्जा दिलाने की कृपा की जाय। उक्त वाद में वर्णित संबंधित विवादित जमीन का ब्यौरा इस प्रकार है, खाता नं०-46, सर्वे नं०- 37, रकबा- 01-03-13, सर्वे नं०- 112 रकबा- 01-08-04 ग्राम बनपुरा थाना भगवानपुर हाट एवं खाता नं०- 69 सर्वे नं०- 60, 61,63, रकबा- 02-18 ग्राम- सडिहा, थाना - भगवानपुर हाट एवं खाता नं०- 95 सर्वे नं०- 620 रकबा 0-15-0 ग्राम - सराय फरौली थाना- भगवानपुर हाट जिला - सीवान में अवस्थित है। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा विपक्षीगण पर नोटिस जारी कर उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् इस आशय का आदेश पारित किया कि जिसमें उभय पक्षों के बीच बंटवारा शिडियूल की प्रमाणिकता को संदिग्ध पाते हुए आवेदक को किस भूमि पर दखल कब्जा दिलाया जाय जिसकी स्पष्टता नहीं होने के कारण उक्त वाद को खारिज कर दिया गया।

भूमि सुधार उप समाहर्ता के उक्त आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपीलार्थी तपनारायण सिंह जो कि भूप नारायण सिंह के बड़े भाई हैं, में प्रस्तुत अपील के माध्यम से उक्त आदेश को चुनौती दी है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अपीलार्थी के पिता शिवशंकर सिंह के वर्ष- 1945 में मृत्यु हो जाने के पश्चात् उनकी संपत्ति का आपसी बंटवारा उनके कानूनन वारिशों के बीच हो गया। अब तीनों पुत्रों को उनके हिस्से की जमीन पर दाखिल कब्जा प्राप्त हो गया। इन्होंने आगे कहा कि चूंकि आवेदक के सबसे छोटे भाई भूप नारायण सिंह सरकारी सेवा में रहने के कारण इनके हिस्से की जमीन को इनके अन्य भाईयों द्वारा जोत आबाद किया जाता रहा परन्तु बाद में जब इनके द्वारा उक्त जमीन का रेलवे द्वारा अधिग्रहण करने के पश्चात् मुआवजा भुगतान की बारी आई तो भूप नारायण सिंह के हिस्से वाली जमीन का मुआवजा भी वर्तमान प्रतिवादी द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इसी बात को लेकर इनके द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, महाराजगंज के समक्ष वाद दायर किया गया था। लेकिन विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा बिना सभी तथ्यों पर समुचित रूप से बिचार किए वगैर ही आवेदक के वाद को खारिज कर दिया गया। इन्होंने यह भी दलील दी की भूमि सुधार उप समाहर्ता को भाईयों के बीच आपसी बंटवारा के संबंध में तैयार की गई कागजात पर तीनों भाईयों के उपलब्ध हस्ताक्षर के जाँच कराये बिना ही उक्त दास्तावेज को संदिग्ध माना गया जो कि सही नहीं है। इस प्रकार भूमि सुधार उप समाहर्ता का आदेश पूर्णतः त्रुटि पूर्ण अव्यवहारिक एवं नियमों के विरुद्ध है जो कि खारिज करने योग्य है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों का खंडन करते हुए कहा गया कि आवेदक को अपनी भूमि की जानकारी नहीं है एवं जिस भूमि पर उन्होंने दावा किया है उस पर विपक्षीगण का दखल कब्जा है। भगवानपुर हाट के किसी भी भूमि पर इनका दखल कब्जा नहीं है एवं इनके द्वारा अपने हिस्से की डिह बासगीत भूमि तक को रजिस्ट्री कर दी गई है। इनका आगे कहना है कि यहाँ तक की रेल विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि का भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र भी विपक्षी चम्पा देवी के नाम से बना है आवेदक द्वारा बंटवारा का जाली कागजात तैयार कर भूमि सुधार उप समाहर्ता के समक्ष वाद दाखिल किया गया था। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि खाता नं०-46 सर्वे नं०- 37 की जमीन को भूप नारायण सिंह द्वारा सत्यनारायण सिंह को बयनामा कर दिया गया शेष अन्य खाते के संबंध में दी गई जानकारी पूर्णतः गलत है एवं सर्वे नं०- 619, 620 विपक्षीगण का दखल कब्जा है। अंत में

विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा इस पूरे वाद के लिए एक जाली बंटवारा का कागज बनाकर वाद दायर किया गया जो कि भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा सभी तथ्यों पर पूर्णरूपेण विचार करते हुए खारिज किया गया है इसलिए यह अपील भी पूर्णतः खारिज योग्य है।

वाद के सभी तथ्यों, परिस्थियों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलील एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता के समक्ष मुख्यतः उनके हिस्से की जमीन पर दखल कब्जा दिलाने हेतु एक वाद लाया गया। परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा अपने आदेश में इस बात को अंकित किया है कि आवेदक द्वारा दाखिल पूरे बंटवारा शिड्यूल ही संदिग्ध है एवं आवेदक द्वारा खाता खेसरा की भूमि पर दावा किया जा रहा है यह जमीन या तो किसी अन्य को रजिस्ट्री हो चुकी है या फिर किसी अन्य भाई के शिड्यूल में दर्ज है साथ में आवेदक द्वारा दाखिल बंटवारा शिड्यूल भी संबंधित अंचालाधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है। भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा पारित आदेश में उपरोक्त कारणों से ही यह पाया गया है कि आवेदक को किस भूमि पर दखल कब्जा दिलाया जाय यह स्पष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्ता के आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होता है जिससे कि इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सके। साथ ही अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी भूमि सुधार उप समाहर्ता के उक्त आदेश के अवैधानिकता के संबंध में कोई तथ्य प्रकाश में नहीं लाया जा सका है। दूसरी तरफ विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त भूमि सुधार उप समाहर्ता के आदेश को समर्पित करते हुए इस तथ्य पर जोर दिया गया कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा सभी तथ्यों एवं कागजातों के परिक्षण के पश्चात् ही अंतिम आदेश पारित किया गया है जो कि पूर्णतः वैधानिक एवं स्वीकार्य है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त,

सारण प्रमंडल, छपरा।

2.5.15